बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 20.08.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ तथा अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जनपद मेरठ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, सड़क रेस्टोरेशन, हाउस होल्ड कनेक्शन, जलापूर्ति व्यवस्था, जल गुणवत्ता एवं जल मात्रा के सत्यापन तथा संबंधित संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित तथ्य एवं निर्देश सामने आए।

जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता

- बैठक में अवगत कराया गया कि मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न बैठकों में जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए गए कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में लगातार शिकायतें एवं आपत्तियां संज्ञान में लाई जा रही हैं। विशेष रूप से मैसर्स पावर मैक प्रोजेक्ट्स–पूरनम कंस्ट्रक्शन, हैदराबाद द्वारा कराए गए कार्यों में निम्न कमियां इंगित की गयी हैं:–
- सड़क कटिंग के पश्चात सड़क रेस्टोरेशन/मरम्मत का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है।
- हाउस होल्ड कनेक्शन घर के अंदर उपलब्ध कराने के स्थान पर कई स्थानों पर घर के बाहर लगाए गए हैं, जो शासन की मंशा एवं निर्धारित दिशा–निर्देशों के विपरीत है।
- स्थापित टोंटियों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है तथा कई टोंटियों में क्रैक पाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है।
- ओवरहेड टैंक के प्लास्टर के झड़ने तथा निर्माण की गुणवत्ता खराब होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
- बाउंड्रीवाल के प्लास्टर की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पाई गई है।
- ट्यूबवेल रूम एवं अन्य संबंधित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी शत–प्रतिशत जांच आवश्यक है।
- अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) मेरठ को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त सभी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराकर कमियों को तत्काल दूर कराया जाए तथा कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराया जाए।

थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (TPI) की कार्यप्रणाली

- बैठक में मैसर्स आर0वी0 एसोसिएट्स द्वारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (TPI) के रूप में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। यह तथ्य सामने आया कि गुणवत्ता का समुचित सत्यापन किए बिना वर्क कम्पलीशन प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की शिकायतें हैं। इस प्रकार की कार्यप्रणाली से विभाग की छवि प्रभावित हुई है।
- निर्देशित किया गया कि (TPI) द्वारा प्रत्येक कार्य का निर्धारित मानकों के अनुसार निरीक्षण एवं गुणवत्ता सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा बिना वास्तविक भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण के किसी भी प्रकार का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत न किया जाए।
- इसी प्रकार DPMU (District Project Monitoring Unit) के रूप में कार्यरत मैसर्स मैथज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्र0लि0, मेरठ द्वारा निर्धारित दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन सुनिश्चित किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

DTU द्वारा स्थलीय सत्यापन

- बैठक में यह पाया गया कि DTU (District Technical Unit) द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ताए जल मात्रा तथा अन्य तकनीकी बिंदुओं का अपेक्षित स्थलीय सत्यापन अभी तक प्रभावी रूप से नहीं किया गया है।
- अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) मेरठ जो DTU के अध्यक्ष/संयोजक हैं, को निर्देशित किया गया कि DTU के माध्यम से सभी आवश्यक तकनीकी एवं भौतिक सत्यापन तत्काल कराया जाए। इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही में विलंब को गंभीरता से लिया गया तथा कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।
- जल की गुणवत्ता एवं जल की मात्रा का सत्यापन आगामी एक सप्ताह में प्रारंभ कराकर अधिकतम 15 दिवस के भीतर पूर्ण कराया जाए तथा प्रत्येक दशा में संबंधित विवरण DSS पोर्टल पर दर्ज किया जाए।

SWSM के निर्देश एवं DSS पोर्टल

- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के पत्रांक 2311 दिनांक 18.08.2026 द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत DSS के संचालन एवं Standard Operating Procedure (SOP) के अनुपालन के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- उक्त पत्र के साथ भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय के पत्र दिनांक 16.07.2026 के सर्कुलर में निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश भी संलग्न हैं। अतः DTU द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का अभिलेखीकरण एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- DSS पोर्टल पर जनपद के लिए प्रदर्शित Priority-1, Priority-2 एवं Priority-3 स्रोतों की समीक्षा की जाए तथा सर्कुलर में दिए गए समस्त निर्देशों का अनुपालन अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ/संयोजक, DTU द्वारा सुनिश्चित कराया जाए।

सड़क रेस्टोरेशन की स्थिति

- बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जनपद में 2695.86 किमी0 सड़क डिसमेंटल/कटिंग के सापेक्ष 2691 किमी0 सड़क रेस्टोरेशन पूर्ण होना दर्शाया गया तथा लगभग 4.60 किमी0 कार्य अवशेष बताया गया।
- बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तुत आंकड़े स्थलीय स्थिति से मेल नहीं खाते प्रतीत होते हैं। जनपद स्तरीय अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों, मा0 जनप्रतिनिधियों एवं आम जनमानस द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण के दौरान सड़क रेस्टोरेशन के कार्यों में गंभीर कमियां संज्ञान में लाई जा रही हैं। अनेक स्थानों पर निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार सड़क रेस्टोरेशन नहीं किया गया है, जिसके कारण ग्रामवासियों में असंतोष एवं आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को निर्देशित किया गया है कि ग्रामवार सूची तैयार कर उन सभी स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां सड़क रेस्टोरेशन का कार्य मानक के अनुरूप नहीं हुआ है तथा उनका तत्काल स्थलीय सत्यापन कराकर मानक के अनुसार पुनः कार्य कराया जाए।
- जनपद के समस्त ग्राम के सड़क की बदहाल स्थिति है इन्होंने सड़क की कटिंग की तथा मानक के अनुसार उनको रिस्टोर/मरम्मत नहीं की गयी। उच्च स्तर से भी जनपद के 08 ब्लॉक जानी, खरखौदा, मेरठ, रजपुरा, दौराला, रोहटा, सरूरपुर एवं माछरा में जल जीवन मिशन के कार्यो के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा नकारात्मक प्रभाव आम जनमानस में परिलक्षित हुआ

Scanned with OKEN Scanner

है। जल जीवन मिशन के अधिकारी के स्तर से कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है। उपरोक्त बिन्दुओं को मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ इसको स्वयं साप्ताहिक अनुश्रवण करके इसमें आपेक्षित सुधार लाऐं। यदि इनके द्वारा कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाया जाता है तो इनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन को पत्र सन्दर्भित कर दिया जाए।

सड़क रेस्टोरेशन के भुगतान के संबंध में

- बैठक में अवगत कराया गया कि सड़क रेस्टोरेशन के कार्यों का लगभग 80 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में सड़क रेस्टोरेशन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है अथवा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हुआ है, उनमें शेष धनराशि का भुगतान कार्य पूर्ण एवं गुणवत्ता सत्यापित कराए बिना न किया जाए। यदि कार्य पूर्ण कराए बिना अथवा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना भुगतान किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

परियोजनाओं की स्थिति

- कार्यदायी संस्था के डी0पी0एम0 द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 332 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 06 परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है तथा 265 परियोजनाएं क्वांटम में चली गई हैं। उक्त परियोजनाओं की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का परियोजनावार सत्यापन कर अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाए तथा अवशेष परियोजनाओं के संबंध में समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए।

भूमि विवादों का निस्तारण

- तहसीलवार भूमि विवादों के कुल प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है, उनका विवरण अद्यतन किया जाए तथा शेष 14 प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह के भीतर प्रकरणों का निस्तारण कर अवगत कराएं।
- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ द्वारा साप्ताहिक बैठक में संबंधित उप जिलाधिकारियों से ऑनलाइन वार्ता कर प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिन प्रकरणों का निस्तारण संबंधित स्तर पर संभव न हो, उनकी पत्रावली तत्काल अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में प्रस्तुत की जाए।

विकास खण्ड स्तर पर शत–प्रतिशत सत्यापन

- जल जीवन मिशन के कार्यों का शत–प्रतिशत सत्यापन एवं समीक्षा खण्ड विकास स्तर पर भी सुनिश्चित कराई जाए। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में समस्त परियोजनाओं के सत्यापन के लिए खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए। समिति द्वारा परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता, पूर्ण हाउस होल्ड कनेक्शन, सड़क रेस्टोरेशन तथा अन्य संबंधित बिंदुओं का सत्यापन किया जाए।

जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

- प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारी को 04 परियोजनाओं का एक समूह/प्रारूप निर्धारित कर संबंधित परियोजनाओं का निरीक्षण आगामी 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

Scanned with OKEN Scanner

पूर्ण न होने की दशा में संबंधित एजेंसी के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग एवं विधिक कार्रवाई हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी योजना है। अतः योजना के अंतर्गत कराए जा रहे प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता, निर्धारित मानकों का पालन एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाएं उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समयसीमा में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी, मेरठ।

पत्रांकः 7671 /ओ0एस0डी0–कैम्प/2026 दिनांक– 25–08–2026

प्रतिलिपि–

1– मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुश्रवण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण, मेरठ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

25-08

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner